

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2651

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**मेक इन इंडिया के अंतर्गत परियोजनाएँ**

**2651. श्री नवसकनी के.:**

**श्री जी. सेल्वम:**

**श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु राज्य में मेक इन इंडिया पहल के आरंभ के बाद से इसके अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
- (ख) परियोजना का नाम, स्थान, क्षेत्र, निवेश राशि और पूर्ण एवं वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति सहित उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर तमिलनाडु में मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत लक्षित प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं और क्षेत्रवार स्वीकृत निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या है;
- (ङ) उक्त पहल की शुरुआत के बाद से तमिलनाडु और राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया से संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से सृजित कुल रोजगार कितना है; और
- (च) क्या सरकार का आगामी वर्षों में मेक इन इंडिया पहल के दायरे का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो विस्तार के लिए पहचान किए गए नए क्षेत्रों या भौगोलिक क्षेत्रों सहित इसका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)**

- (क) से (च):** निवेश को सुगम बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया 2.0' 15 विनिर्माण क्षेत्रों

सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-1** में संलग्न है।

सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की सॉफ्ट लॉन्चिंग आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है। उपर्युक्त सभी पहलें/स्कीमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार, तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों में कार्यान्वित की जाती हैं।

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर बल देगा अर्थात् व्यापार करने में सुगमता और उसकी लागत; अधिक मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और ऊर्जावान एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और बड़े पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में लगभग अगले पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु सहित राष्ट्रीय स्तर पर 12 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगारों का सृजन हुआ है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, देशभर से तमिलनाडु सहित 14 क्षेत्रों से संबंधित 806 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। तमिलनाडु में स्कीम के तहत

सृजित रोजगार और स्थापित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2025 के दौरान देश में 14.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह को ध्यान में रखते हुए यह राज्य निवेश के मामलों में देश निवेश में पांचवें स्थान पर है। (स्रोत: डीपीआईआईटी फैक्ट शीट)

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रालयों द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार की जाती हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्कीमें हैं।

\*\*\*\*\*

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**विनिर्माण क्षेत्र**

- i. एरोस्पेस और रक्षा
- ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
- iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
- iv. बायो-टेक्नोलॉजी
- v. पूंजीगत वस्तुएं
- vi. वस्त्र एवं परिधान
- vii. रसायन और पेट्रो रसायन
- viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
- ix. चमड़ा और फुटवियर
- x. खाद्य प्रसंस्करण
- xi. रत्न और आभूषण
- xii. शिपिंग
- xiii. रेलवे
- xiv. निर्माण
- xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

**सेवा क्षेत्र**

- i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
- ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
- iii. मेडिकल वैल्यू ट्रेवल
- iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- v. लेखा और वित्त सेवाएं
- vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
- vii. कानूनी सेवाएं
- viii. संचार सेवाएं
- ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
- x. पर्यावरणीय सेवाएं
- xi. वित्तीय सेवाएं
- xii. शिक्षा सेवाएं

\*\*\*\*\*

## अनुबंध II

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2651 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र	विनिर्माण इकाईयों की संख्या	सृजित रोजगार
1	फार्मास्यूटिकल औषधियां	16	3086
2	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	6	58,301
3	टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद	13	2759
4	खाद्य उत्पाद	12	24,431
5	बल्क औषधियां	2	87
6	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	2	113
7	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	8	4236
8	ड्रोन और ड्रोन संबंधी घटक	3	318
9	आईटी हार्डवेयर 2.0	9	1058
10	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	36	20,417
11	वस्त्र उत्पाद:एमएमएफ घटक और तकनीकी वस्त्र	11	5295
12	उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल(भाग I और II)	3	5952
13	एडवांस्ड केमेट्री सेल (एसीसी) बैटरी	1	611
14	विशेष इस्पात	4	647
<b>कुल</b>		<b>126</b>	<b>1,27,311</b>

(पीएलआई कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार)